

जनगणना

प्रश्न पत्र- 1 (जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे)

स्रोत – द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में, सरकार ने दशकीय जनगणना के क्रियान्वयन (जनगणना- 2021) को सितंबर, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि प्रशासनिक सीमाओं को 1 जुलाई, 2023 से बंद कर दिया जाएगा।
- जनगणना को 2020-21 के बीच आयोजित करने का इरादा था, लेकिन COVID-19 के प्रसार के कारण ऐसा नहीं हो सका।

पृष्ठभूमि

- जनगणना, देश की जनसंख्या की गणना है और यह गृह मंत्रालय के तहत भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा 10 वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है।
- जनगणना में जनसांख्यिकीय और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मापदंडों; जैसे- शिक्षा, भाषा, विवाह, प्रजनन क्षमता, विकलांगता, व्यवसाय और व्यक्तियों के प्रवास पर डेटा एकत्र किया जाता है।
- यह पहली बार 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के तहत शुरू की गयी थी और भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी।
- जनगणना -2021, 15वीं जनगणना होगी जिसे से दो चरणों में आयोजित किया जाएगा, यानी हाउस लिस्टिंग और जनसंख्या गणना।
- यह जनता को स्व-गणना के लिए एक सुविधा भी प्रदान करेगी और पहली बार, क्रियान्वयन में डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग किया जायेगा।
- ऑनलाइन स्व-गणना की अनुमति देने के अलावा, गणनाकार पूर्व की तरह जनगणना के आंकड़े एकत्र करने के लिए घर-घर का दौरा जारी रखेंगे।
- "केंद्र सरकार, कार्यपालिका पर जनगणना आयोजित करने का निर्णय दायित्व दे सकती है, यह अमेरिका और जापान जैसे कई देशों में जनगणना स्थिति के विपरीत है जहाँ संविधान या जनगणना कानून परिभाषित आवधिकता के साथ जनगणना को अनिवार्य करता है।

जनगणना का महत्व

- जनगणना अधिनियम, 1948 जनगणना से संबंधित कई गतिविधियों के लिए इसकी आवश्यकता के बारे में कुछ भी उल्लेख किए बिना कानूनी पृष्ठभूमि प्रदान करता है।
- यह कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सरकारी कार्यक्रमों को तैयार करने में मदद करता है और इसका उपयोग विभिन्न नमूना सर्वेक्षणों के अनुमानों को मान्य या अस्वीकार करने के लिए किया जाता है। जनसंख्या की गणना के अलावा, जनगणना जनसंख्या की विशेषताओं, आवास और सुविधाओं पर डेटा भी प्रदान करती रही है।
- जनगणना के आंकड़ों का उपयोग संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होने वाली सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
- पंचायतों और नगर निकायों के मामले में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण जनसंख्या में उनके अनुपात पर आधारित है। जनगणना के अलावा कोई अन्य स्रोत नहीं है, जो यह जानकारी प्रदान कर सके।

प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करने की आवश्यकता क्यों है?

- प्रत्येक जनगणना से पहले, राज्यों द्वारा अधिसूचित जिलों, गांवों, कस्बों और अन्य प्रशासनिक इकाईयों; जैसे- तहसीलों, तालुकों और पुलिस स्टेशनों की संख्या में परिवर्तन के बारे में भारत के महापंजीयक (RGI) को जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
- कम से कम तीन महीने पहले, प्रशासनिक इकाईयों की सीमा को फ्रीज करना, इस प्रकार जनगणना करने के लिए एक पूर्वापेक्षा है, ताकि राज्य सरकारों की नए जिलों और तहसीलों को बनाने या मौजूदा को पुनर्गठित करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके।
- जनगणना से पहले वर्ष के मार्च और सितंबर के बीच अलग-अलग समय पर विभिन्न राज्यों में हाउस-लिस्टिंग ऑपरेशन पारंपरिक रूप से किए जायेंगे।
- नतीजतन, सरकार ने हाउस-लिस्टिंग ऑपरेशन के साथ मेल खाने के लिए प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने का फैसला किया, जिससे सीमाओं को फ्रीज करने और वास्तविक जनगणना के बीच के समय को कम किया जा सके।

जनगणना में देरी के निहितार्थ

- हालांकि भारत में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या अनुमान विद्यमान हैं, लेकिन जब तक जनगणना नहीं की जाती है, तब तक निचले भौगोलिक स्तरों जैसे कि जिलों और शहरों के लिए विश्वसनीय अनुमान प्राप्त करना संभव नहीं है।
- साक्षरता और शैक्षिक स्तर में सुधार, आर्थिक गतिविधि, प्रवास आदि या स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं के प्रभाव की जानकारी नमूना सर्वेक्षणों से प्राप्त होती है।लेकिन इन सर्वेक्षणों का उपयोग गांवों में साक्षरता दर या तहसील में नियमित पेयजल आपूर्ति प्राप्त करने वाले लोगों के अनुपात से संबंधित उत्तर खोजने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- जनसंख्या की विशेषताओं, आवास, सुविधाओं आदि से संबंधित ऐसी जानकारी समय पर आयोजित जनगणना द्वारा ही प्रदान की जाती है।
- जनगणना में देरी का मतलब है कि 2011 की जनगणना के डेटा का उपयोग विधायिका, स्थानीय निकायों आदि में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए सीटों के आरक्षण का निर्धारण करने के लिए किया जाएगा।

- चूंकि कई कस्बों और पंचायतों ने पिछले एक दशक में अपनी आबादी की संरचना में तेजी से बदलाव देखा है, इसलिए जनगणना में देरी का मतलब होगा कि या तो बहुत अधिक या बहुत कम सीटें आरक्षित की जा रही हैं।
- ग्रामीण-शहरी आबादी तेजी से बदल रही है और प्रवासन के कारण पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या वृद्धि हुई है।
- **कोविड मृत्यु दर की गणना:** गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में आयु वितरण पर महामारी का प्रभाव मौतों की संख्या का अप्रत्यक्ष अनुमान देगा। जनगणना महामारी के कारण होने वाली मौतों की संख्या के विभिन्न अनुमानों को मान्य या अस्वीकार कर सकती है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, 2011 की जनगणना (121 करोड़) का उपयोग करते हुए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न का अधिकार देता है।
- हालाँकि, आज भारत की जनसंख्या लगभग 137 करोड़ हो गई है और जनगणना के आंकड़ों में वर्तमान देरी 10 करोड़ से अधिक लोगों को सब्सिडी वाले खाद्य अधिकारों से वंचित कर देगी।

आगे की राह

- भारत को जनगणना के समय पर संचालन के लिए इस अभ्यास का अनुकरण करने की आवश्यकता है।
- **जनगणना को एनपीआर से अलग करें:** जनगणना संचालन के माध्यम से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए डेटा एकत्र करने के निर्णय पर अत्यधिक बहस हुई थी। इस तरह के विवाद जनगणना को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जो डेटा एकत्र करने के लिए सबसे बड़ा प्रशासनिक अभ्यास है।
- इस प्रकार, केंद्र सरकार को NPR जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे से जनगणना को अलग करना चाहिए क्योंकि इसमें पहले ही काफी देरी हो चुकी है।
- इससे जनगणना को जल्द से जल्द पूरा करने और डेटा की विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- 2026 के बाद की पहली जनगणना का उपयोग संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन और राज्यों के बीच संसदीय सीटों के वितरण के लिए किया जाएगा।
- राज्यों के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में असमानता के कारण, संसद में सीटों के वितरण में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए जनगणना अधिक राजनीतिक रूप से आवेशित वातावरण में होने की संभावना है, इस प्रकार यह आवश्यक है कि यह जनगणना जल्दी की जाए।
- 2020 में महामारी के कारण हाउस-लिस्टिंग और जनसंख्या गणना चरणों को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब काफी हद तक सामान्य स्थिति बहाल हो गई है और इसलिए आगे स्थगन का कोई कारण नहीं है।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्र . निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. जनगणना एक वैधानिक अभ्यास है जो जनगणना अधिनियम, 1945 के प्रावधानों के तहत किया जाता है
2. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना), 2003 के प्रावधानों के तहत बनाया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 ,न ही 2

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- भारत में दशकीय जनगणना में हुई देरी के कारण , महत्व और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (200 शब्द)

THE STUDY
By **Manikant Singh**

**COMPREHENSIVE
INTERVIEW
PROGRAMME
CIP- 2022**

INVITES
All Candidates Appearing
for
**UPSC
Interview
2022**

MOCK INTERVIEW (Both Hindi & English Medium)

PANELISTS-Ex-Bureaucrats, Academicians & able guidance of MANIKANT SINGH

Comprehensive **DAF** Discussions
(One to One Session)

Classes on Current Issues, Security & Relevant Issues

Contact Us
7683076934
9999516388

An Institute for IAS

**THE STUDY
BY MANIKANT SINGH**

thestudyias@gmail.com
MOB: 9999516388